

**छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर
जिला-रायपुर (छ.ग.)**

क्र. 566 / एफ-1-126 / 31 / एस-2 / 2018,

अटल नगर, दिनांक 11 / 02 / 2020

प्रति,

मुख्य अभियंता,
महानदी गोदावरी कछार,
जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- रायपुर जिले के विकासखंड-आरंग की नवागांव जलाशय का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :- 1. प्र.अ. का पत्र क्र.-329 / बो.प्र. / प्रशा.स्वी. / 2018 / 12121, रायपुर, दिनांक 13.07.2018.
2. मु.अ. का पत्र क्र.-25 / डी-3 / मगोक / 2018 / 10337, रायपुर, दिनांक 06.09.2019.

—00—

- राज्य शासन एतद् द्वारा रायपुर जिले के विकासखंड-आरंग की नवागांव जलाशय का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य हेतु लागत राशि रु. 399.13 लाख (रुपये तीन करोड़ निन्यानवे लाख तेरह हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।
2. प्रस्तावित कार्यों के उपरान्त रूपांकित सिंचाई (1214 हेक्टेयर) में 300 हेक्टेयर की हो रही कमी की पूर्ति सहित पूर्ण रूपांकित क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है।
 3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
 4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
 5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-45-लघु सिंचाई निर्माण कार्य, 4702 लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {101}-सतही जल, 0101 राज्य आयोजना (सामान्य), (3803) लघु एवं लघुत्तम सिंचाई योजनाएं #97-निर्माण कार्य, 003 बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
 6. वित्त विभाग द्वारा उनके जावक क्र. 1262 / सी.एन. 31-02415 / बजट-2 / वित्त / चार / 2019, दिनांक 03.01.2020 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
 7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
 8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
 9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

**छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार**

(याकुब खैर) 11/2/20

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

(6) जल संसाधन विभाग

पृ. क्र. 567 / एफ-1-126/31/एस-2/2018,

अटल नगर, दिनांक 11/02/2020

प्रतिलिपि :-

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 - 2 निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
 - 3 विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 - 4 अपर मुख्य सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 - 5 सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 - 6 महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
 - 7 महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
 - 8 कलेक्टर, जिला-रायपुर (छ.ग.)।
 - 9 संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
 - 10 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर।
 - 11 उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 अटल नगर।
 - 12 अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट स्टेट डाटा सेंटर, सिविल लाईन, रायपुर (छ.ग.)।
 - 13 अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन एवं भू-जल सर्वेक्षण मंडल, रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)।
 - 14 कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायपुर, जिला-रायपुर।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 15 आदेश फोल्डर।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग